विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2023 / 08 वैशाख, 1945 (शक)

संख्या–111

<u>सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई</u>

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 18.04.2023 को पुलिस उपायुक्त, बाहरी उत्तरी जिला, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ हैः–

''मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा–65 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य पाया है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री जरनैल सिंह और श्री अजेश यादव, को बाहरी उत्तरी जिला, दिल्ली के क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए।

तद्नुसार, 16.04.2023 को, पूर्वाहन 11.30 से 11.55 बजे, उन्हें होंडा चौक, लिबासपुर, जी.टी.के रोड के पास, समयपुर बादली पुलिस थाना, बाहरी उत्तरी जिला, दिल्ली के क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और दिल्ली विधान सभा के दोनों सदस्यों को बवाना पुलिस थाना, बाहरी उत्तरी जिला, दिल्ली ले जाया गया। उसी दिन अपराह्न 08.50 बजे दोनों को पुलिस थाना बवाना, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया''

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative and other matters)
Friday, 28 April, 2023/08 Vaishakh, 1945 (Shaka)

No. 111

<u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS</u>

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 18.04.2023 from Deputy Commissioner of Police, Outer North District, New Delhi:-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Shri Jarnail Singh, & Shri Ajesh Yadav, Hon'ble Members of Delhi Vidhan Sabha be detained for the maintenance of law & order and public peace in the area of Outer North District, Delhi.

Accordingly, on 16.04.2023, at 11:30 to 11:55 AM, they were detained from Honda Chowk, Libaspur, near GTK Road, in the area of Police Station Samaypur Badli, Outer North District, Delhi and both Hon'ble Members of Delhi Vidhan Sabha were taken to PS Bawana, Outer North District, Delhi. At 08.50 PM, on the same day, both were released from Police Station Bawana, New Delhi."

Raj Kumar
Secretary